भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2535

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव

2535. श्री के.आर.एन. राजेश कुमारः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आत्मनिर्भर पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के लाभकारी अवसर सृजित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसा किस सीमा तक होगा?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कई कदम उठाए हैं:

i. थीम आधारित पर्यटक परिपथ विकसित करने की दृष्टि से स्वदेश दर्शन योजना की शुरूआत की ।

ii. अभिज्ञात तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास के लिए तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना पर राष्ट्रीय मिशन आरम्भ किया गया है।

iii. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों/ शहरी स्थानीय निकायों के साथ अभिसरण प्राप्त करके विकास के लिए देश में 19 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की गई है।

iv. विरासत स्थलों/ स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए ''एक विरासत को अपनाए'' परियोजना की शुरुआत की है।

v. 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की है।

vi. 156 देशों के नागरिकों के लिए पांच उप-श्रेणियों यानी ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए ई-वीजा की सुविधा प्रदान की गई है।

vii. ई-वीजा को और अधिक उदार बनाया गया है और वीजा शुल्क में काफी कमी की गई है।

viii. अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया, जो एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य पर्यटकों की सहायता के लिए देश भर में अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर पर्यटक सुविधाकर्ताओं का एक पूल बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना है।

ix. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के तहत बेहतर सेवा मानकों को प्रदान करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

x. देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ ट्रेकिंग के लिए नई पर्वत चोटियों को खोला गया है।

xi. पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 1,000 रुपए से 7,500/ रुपए प्रति रात के टैरिफ वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% तथा 7,501 रुपए से अधिक की टैरिफ पर 18% कर दिया गया है।

xii. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान-3 योजना के तहत चिन्हित एयरलाइनों को 46 पर्यटन मार्ग प्रदान किए गए हैं। इनमें से 29 मार्गों को अब तक चालू कर दिया गया है।

(ग) और (घ): पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए एक प्रमुख कारक है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए तीसरे पर्यटन उपग्रह खाते (टीएसए) के अनुमान के अनुसार**,** देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के लिए पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है:

	2017-18	2018-19	2019-20
पर्यटन से उत्पन्न प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष रोजगार (मिलियन में)	72.69	75.85	79.86

नोट: उपरोक्त अनुमानों को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस*)* 2021 का उपयोग करके अद्यतन किया गया है

*****